न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 37 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

1. दामोदरलाल पिता सुन्दरलाल जी ब्राहमण, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी दामोदरलाल जी ब्राहमण, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर उदयपुर प्रकरण संख्या
14 / 2016 दिनांक 19–06–2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 22–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार मावली द्वारा एक आवेदन नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियम 1970) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा मिसल संख्या 73 / 2005 दिनांक 21–11–2005 से ग्राम खेमली की बिलानाम आराजी नंबर 975 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, जिसके नवीन आराजी नंबर 4503 / 4498 है, किन्तु विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है, न ही इस भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा है। अतः विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 19–06–2017 से प्रार्थी तहसीलदार का आवेदन स्वीकार कर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया एवं भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर विपक्षीगण/अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि उसके द्वारा बराबर फसल बोई जा रही है किन्तु पानी की कमी होने से जिन्स गिरदावरी बताते समय फसल सूख जाती है। पटवारी हल्का द्वारा जो पर्चा मौका बनाया गया है उसकी कोई सूचना उसे नहीं दी गयी एवं पर्चा मौका एकपक्षीय बनाया गया है। एकपक्षीय पर्चा मौका के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा अपीलान्टगण के आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकन किया है कि मौका पर्चा अनुसार भूमि मौके पर पड़त होकर आवंटी का कब्जा नहीं है तथा उनके द्वारा आज दिनांक तक काश्त नहीं की गयी है। संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2062 से 2073 यानि 12 वर्षो तक भूमि मौके पर पड़त अंकित है, जिससे जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा मौके पर कभी काश्त नहीं की गयी है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की

गयी है। हमारे द्वारा आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया, जिसकी शर्त संख्या 3 अनुसार पचास प्रतिशत भूमि पर काश्त आवंटन वर्ष में तथा शेष भूमि पर दूसरे वर्ष में काश्त किये जाने का उल्लेख है, किन्तु पर्चा मौका अनुसार भूमि मौके पर पड़त होने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। तद्नुसार अपीलान्ट/आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने उनका आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का जो आदेश दिया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–06–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर